



उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड सरकार

2021–2022 के लिये

# द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की माँगें

(दिसम्बर, 2021)

(जैसे कि विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये)

उत्तराखण्ड सरकार

2021–2022 के लिये

द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की  
माँगें

(दिसम्बर, 2021)

(जैसे कि विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये)

## वित्तीय वर्ष 2021–2022 के द्वितीय अनुपूरक मांगों पर टिप्पणी

भारत के संविधान के अनुच्छेद-205 के क्रम में किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उस वर्ष के लिये अनुच्छेद-202 के अनुसार विधान-मण्डल द्वारा स्वीकृत वार्षिक वित्त विवरण के अधीन अधिकृत व्यय से अधिक हुये व्यय या वर्ष के दौरान वांछित अधिक व्यय अथवा नई मदों हेतु विधान मण्डल के समक्ष अनुपूरक माँग प्रस्तुत करना आवश्यक है। अनुपूरक मांगों की उस समय भी आवश्यकता होती है, जबकि सम्बन्धित व्यय के लिये धन उपलब्ध हो, पर आवश्यकता नई मदों के लिये हो या मूल योजना में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया हो कि उसे विधान-मण्डल के सामने स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करना आवश्यक हो। इसके लिए अतिरिक्त ऐसी मांगों जो कि “प्रतीक मांग” कहलाती हैं प्रचलित वित्तीय व्यवस्था का एक स्वीकृत अंग है।

2- वित्तीय वर्ष 2021–2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांगों में वास्तविक और प्रतीक दोनों ही सम्मिलित की गयी हैं। अनुदानवार विवरण के साथ-साथ लेखाशीर्षक के विवरण तथा तत्सम्बन्धी धनराशि दर्शाने के बाद, संक्षिप्त टिप्पणी में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त अनुदान में अतिरिक्त प्राविधान, नई मदें अथवा राज्य आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति शामिल है। विस्तृत विवरण बजट की बेबसाइट <http://budget.uk.gov.in/> पर देखा जा सकता है।

3- द्वितीय अनुपूरक मांग प्रस्तुत करना इसलिये भी आवश्यक है कि मूल वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के बाद अनेक केन्द्र पोषित योजनाओं तथा तद्विषयक धनराशि का समावेश, बचनबद्ध मदों में वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये धनराशि कम पड़ने की सम्भावना, “राज्य आकस्मिकता निधि” से स्वीकृत अग्रिमों की प्रतिपूर्ति, नई मदों पर व्यय जिनके लिये चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में कोई व्यवस्था सम्मिलित नहीं की गई थी तथा उस पर विधान-मण्डल की स्वीकृति अपेक्षित है।

प्रस्तुत द्वितीय अनुपूरक मांग का विवरण इस प्रकार है :-

(धनराशि हजार रु0 में)

क्र०सं०	व्यय का स्वरूप	मतदेय	भारित	योग
1	2	3	4	5
1-	राजस्व लेखा	9677087	2011995	11689082
2	पूँजी लेखा	1848826	0	1848826
	योग	11525913	2011995	13537908

अग्रहायण 19 शक सम्वत् 1943

तदनुसार

10 दिसम्बर, 2021

अमित सिंह नेगी

सचिव, वित्त

द्वितीय अनुपूरक आय-व्ययक अनुमान वित्तीय वर्ष 2021-22

(धनराशि हजार रुपये में)

अनुदान संख्या एवं अनुदान नाम	राजस्व/Revenue		पूंजी/Capital		योग/
	मतदेय/Vote	भारित/Charged	मतदेय/Vote	भारित/Charged	Total
04 न्याय प्रशासन Administration of Justice	5170	11995	--	--	17165
06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन Revenue and General Services	6683600	--	--	--	6683600
07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें Finance, Taxes, Planning, Secretariat and General Services	102800	2000000	--	--	2102800
11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति Education, Sports, Art and Culture	2500	--	--	--	2500
14 सूचना Information	1040000	--	--	--	1040000
15 कल्याण योजनायें Welfare scheme	838000	--	--	--	838000
19 ग्राम्य विकास Rural Development	500000	--	546700	--	1046700
22 लोक निर्माण कार्य Public Works	500000	--	1000000	--	1500000
24 परिवहन Transport	--	--	138826	--	138826
30 अनुसूचित जातियों का कल्याण Welfare of S.Cs	3687	--	134900	--	138587
31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण Welfare of S.Ts	1330	--	28400	--	29730
<b>योग/Total</b>	<b>9677087</b>	<b>2011995</b>	<b>1848826</b>	<b>0</b>	
<b>कुल योग/Total</b>	<b>11689082</b>		<b>1848826</b>		
<b>महा योग/GrandTotal</b>			<b>13537908</b>		

(धनराशि हजार रूपये में)

	राजस्व	पूजी	योग
1. मूल अनुदान	मतदेय 2354284	553000	2907284
	भारित 544100	--	544100
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय 5170	--	5170
	भारित 11995	--	11995
कुल योग ( मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान )	मतदेय 2359454	553000	2912454
	भारित 556095	--	556095

## 2014 न्याय प्रशासन

## 102 उच्च न्यायालय

## 03 उच्च न्यायालय

51	अनुरक्षण	भारित	11995
	योग 03	भारित	11995
	योग 102	भारित	11995

## 105 सिविल और सेशन न्यायालय

## 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

## 01 रेप एण्ड पोक्सो एक्ट के लंबित प्रकरणों हेतु फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट (90% के0पो0)

01	वेतन	मतदेय	100
03	महंगाई भत्ता	मतदेय	5000
06	अन्य भत्ते	मतदेय	70
	योग 01	मतदेय	5170
	योग 01	मतदेय	5170
	योग 105	मतदेय	5170
	योग 2014	मतदेय	5170
		भारित	11995

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है

- 1 उच्च न्यायालय में अनुरक्षण मद हेतु रा0आ0नि0 से आहरित रू0 11995 हजार की प्रतिपूर्ति की आवश्यकता है।
- 2 रेप एण्ड पोक्सो एक्ट के लंबित प्रकरणों हेतु फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट हेतु रा0आ0नि0 से आहरित रू0 5170 हजार की प्रतिपूर्ति की आवश्यकता है।

(धनराशि हजार रूपये में)

	राजस्व	पूँजी	योग
1. मूल अनुदान	18406265	3983001	22389266
भारित	24455	--	24455
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	6683600	--	6683600
भारित	--	--	--
कुल योग ( मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान )	25089865	3983001	29072866
भारित	24455	--	24455

**2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत****05 राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष****101 आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस0डी0आर0एफ0****01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना****01 एस0डी0आर0एफ0 से व्यय (90 प्रतिशत के0स0)**

66	अन्तर लेखा संक्रमण		मतदेय	6683600
	योग	01	मतदेय	6683600
	योग	01	मतदेय	6683600
	<b>02 आपदा राहत निधि से व्यय</b>			
42	अन्य विभागीय व्यय		मतदेय	6683600
	योग	02	मतदेय	6683600
	योग	101	मतदेय	13367200
	<b>901 घटाइये एस0डी0आर0एफ0 से पूरी की गयी धनराशि</b>			
	<b>01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना</b>			
	<b>01 एस0डी0आर0एफ0 से पूरी की गयी धनराशि</b>			
66	अन्तर लेखा संक्रमण		मतदेय	-6683600
	योग	01	मतदेय	-6683600
	योग	01	मतदेय	-6683600
	योग	901	मतदेय	-6683600
	योग	05	मतदेय	6683600
	योग	2245	मतदेय	6683600

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है

- 1 एस0डी0आर0एफ0 हेतु अन्तर लेखा संक्रमण के लिए रू0 6683600 हजार की आवश्यकता है।
- 2 आपदा राहत निधि से व्यय हेतु रू0 6683600 हजार की आवश्यकता है।
- 3 एस0डी0आर0एफ0 से पूरी की गयी धनराशि हेतु रू0 -6683600 हजार की आवश्यकता है।

(धनराशि हजार रूपये में)

	राजस्व	पूजी	योग
1. मूल अनुदान	मतदेय 95889179	3949398	99838577
	भारित 63561262	42415689	105976951
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय 102800	--	102800
	भारित 2000000	--	2000000
कुल योग ( मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान )	मतदेय 95991979	3949398	99941377
	भारित 65561262	42415689	107976951

**2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन****797 आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण****03 राज्य विकास ऋणों की संहत ऋण शोधन निधि को अन्तरण**

66 अन्तर लेखा संक्रमण	भारित	2000000
योग 03	भारित	2000000
योग 797	भारित	2000000
योग 2048	भारित	2000000

**2052 सचिवालय-सामान्य सेवायें****090 सचिवालय****05 रैसिडेन्ट कमिश्नर नई दिल्ली अधिष्ठान**

07 मानदेय	मतदेय	1400
23 किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	मतदेय	1400
योग 05	मतदेय	2800
योग 090	मतदेय	2800
योग 2052	मतदेय	2800

**3435 पारिस्थितिकी और पर्यावरण****03 पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिक उत्थान****102 पर्यावरण नियोजन और समन्वय****02 पर्यावरण निदेशालय**

42 अन्य विभागीय व्यय	मतदेय	10000
50 सन्सिडी	मतदेय	90000
योग 02	मतदेय	100000
योग 102	मतदेय	100000
योग 03	मतदेय	100000
योग 3435	मतदेय	100000

---

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है

---

- 1 राज्य विकास ऋणों की संहत ऋण शोधन निधि को अन्तरण हेतु रू0 2000000 हजार की आवश्यकता है।
  - 2 रैसिडेन्ट कमीश्रर नई दिल्ली अधिष्ठान हेतु रा0आ0नि0 से आहरित रू0 2800 हजार की प्रतिपूर्ति की आवश्यकता है।
  - 3 पर्यावरण निदेशालय हेतु रू0 100000 हजार की आवश्यकता है।
-



(धनराशि हजार रूपये में)

	राजस्व	पूजी	योग
1. मूल अनुदान			
मतदेय	90359852	4147864	94507716
भारित	--	--	--
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है			
मतदेय	2500	--	2500
भारित	--	--	--
कुल योग ( मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान )			
मतदेय	90362352	4147864	94510216
भारित	--	--	--

**2202 सामान्य शिक्षा****03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा****102 विश्वविद्यालयों को सहायता****13 उत्तराखण्ड स्किल डेवलपमेंट एण्ड मल्टी डिसीपलीनरी यूनिवर्सिटी**

42 अन्य विभागीय व्यय		मतदेय	2500
	योग 13	मतदेय	2500
	योग 102	मतदेय	2500
	योग 03	मतदेय	2500
	योग 2202	मतदेय	2500

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है

- 1 उत्तराखण्ड स्किल डेवलपमेंट एण्ड मल्टी डिसीपलीनरी यूनिवर्सिटी हेतु रा0आ0नि0 से आहरित रू0 2500 हजार की प्रतिपूर्ति की आवश्यकता है।

(धनराशि हजार रूपये में)

	राजस्व	पूजी	योग
1. मूल अनुदान	मतदेय 2767493	5000	2772493
	भारित --	--	--
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय 1040000	--	1040000
	भारित --	--	--
कुल योग ( मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान )	मतदेय 3807493	5000	3812493
	भारित --	--	--

**2220 सूचना तथा प्रसार****60 अन्य****101 विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार****05 अधिष्ठान**

24 विज्ञापन, विक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	मतदेय	1040000
योग 05	मतदेय	1040000
योग 101	मतदेय	1040000
योग 60	मतदेय	1040000
योग 2220	मतदेय	1040000

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है

1 सूचना विभाग में विज्ञापन, विक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय हेतु रू0 1040000 हजार की आवश्यकता है।

(धनराशि हजार रूपये में)

	राजस्व	पूजी	योग
1. मूल अनुदान	18808270	1076028	19884298
भारित	--	--	--
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	838000	--	838000
भारित	--	--	--
कुल योग ( मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान )	19646270	1076028	20722298
भारित	--	--	--

**2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण****02 समाज कल्याण****102 बाल कल्याण****03 समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय****03 समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय (राज्य योजना)**

08 पारिश्रमिक	मतदेय	30000
योग 03	मतदेय	30000
योग 03	मतदेय	30000
योग 102	मतदेय	30000
<b>103 महिला कल्याण</b>		
<b>29 नन्दा गौरा योजना</b>		
56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन )	मतदेय	800000
योग 29	मतदेय	800000
योग 103	मतदेय	800000
योग 02	मतदेय	830000
<b>60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम</b>		
<b>200 अन्य कार्यक्रम</b>		
<b>03 सैनिक कल्याण</b>		
<b>01 सैनिक मुख्यालय</b>		
27 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	मतदेय	8000
योग 01	मतदेय	8000
योग 03	मतदेय	8000
योग 200	मतदेय	8000
योग 60	मतदेय	8000
योग 2235	मतदेय	838000

---

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है

---

- 1 समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय (राज्य योजना) हेतु रा0आ0नि0 से आहरित रू0 30000 हजार की प्रतिपूर्ति की आवश्यकता है।
  - 2 नन्दा गौरा योजना हेतु रू0 800000 हजार की आवश्यकता है।
  - 3 सैनिक मुख्यालय हेतु रा0आ0नि0 से आहरित रू0 8000 हजार की प्रतिपूर्ति की आवश्यकता है।
-

(धनराशि हजार रूपये में)

	राजस्व	पूँजी	योग
1. मूल अनुदान	9104631	14031655	23136286
भारित	--	--	--
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	500000	546700	1046700
भारित	--	--	--
कुल योग ( मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान )	9604631	14578355	24182986
भारित	--	--	--

**2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम****102 सामुदायिक विकास****40 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत 45150010206 से स्थानान्तरित**

51	अनुरक्षण		मतदेय	500000
		योग 40	मतदेय	500000
		योग 102	मतदेय	500000
		योग 2515	मतदेय	500000

**4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय****102 सामुदायिक विकास****07 विधायक निधि**

55	पूँजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान		मतदेय	546700
		योग 07	मतदेय	546700
		योग 102	मतदेय	546700
		योग 4515	मतदेय	546700

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है

- 1 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत हेतु रू0 500000 हजार की आवश्यकता है।
- 2 विधायक निधि हेतु रा0आ0नि0 से आहरित रू0 546700 हजार की प्रतिपूर्ति की आवश्यकता है।

(धनराशि हजार रूपये में)

	राजस्व	पूजी	योग
1. मूल अनुदान	मतदेय 9573433	14020238	23593671
	भारित 97200	--	97200
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय 500000	1000000	1500000
	भारित --	--	--
कुल योग ( मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान )	मतदेय 10073433	15020238	25093671
	भारित 97200	--	97200

**3054 सड़क तथा सेतु****04 जिला और अन्य सड़कें****337 सड़क निर्माण कार्य****03 अनुरक्षण एवं मरम्मत****01 प्रदेश के मार्गों/पुलियों का अनुरक्षण कार्य**

51	अनुरक्षण		मतदेय	500000
		योग 01	मतदेय	500000
		योग 03	मतदेय	500000
		योग 337	मतदेय	500000
		योग 04	मतदेय	500000
		योग 3054	मतदेय	500000

**5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय****04 जिला तथा अन्य सड़के****337 सड़क निर्माण कार्य****03 राज्य सेक्टर****01 चालू निर्माण कार्य**

53	वृहद निर्माण		मतदेय	1000000
		योग 01	मतदेय	1000000
		योग 03	मतदेय	1000000
		योग 337	मतदेय	1000000
		योग 04	मतदेय	1000000
		योग 5054	मतदेय	1000000

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है

- 1 प्रदेश के मार्गों/ पुलियों का अनुरक्षण कार्य हेतु ₹0 500000 हजार की आवश्यकता है।
- 2 राज्य सेक्टर में चालू निर्माण कार्य के लिए वृहद निर्माण हेतु ₹0 1000000 हजार की आवश्यकता है।

(धनराशि हजार रूपये में)

	राजस्व	पूजी	योग
1. मूल अनुदान	मतदेय 1758030	3147154	4905184
	भारित --	--	--
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय --	138826	138826
	भारित --	--	--
कुल योग ( मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान )	मतदेय 1758030	3285980	5044010
	भारित --	--	--

## 7055 सड़क परिवहन के लिए कर्ज

## 101 सड़क परिवहन निगम को स्थायी ऋण

## 07 उत्तराखण्ड परिवहन निगम को ऋण

61 ऋण		मतदेय	138826
	योग 07	मतदेय	138826
	योग 101	मतदेय	138826
	योग 7055	मतदेय	138826

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है

1 उत्तराखण्ड परिवहन को ऋण हेतु रा0आ0नि0 से आहरित रू0 138826 हजार की प्रतिपूर्ति की आवश्यकता है।

(धनराशि हजार रूपये में)

	राजस्व	पूँजी	योग
1. मूल अनुदान	मतदेय 14251700	4518480	18770180
	भारित --	--	--
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय 3687	134900	138587
	भारित --	--	--
कुल योग ( मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान )	मतदेय 14255387	4653380	18908767
	भारित --	--	--

**2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण****02 समाज कल्याण****102 बाल कल्याण****02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान****02 अनुसूचित जाति केन्द्रों पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय (राज्य योजना)**

08 पारिश्रमिक		मतदेय	3687
	योग 02	मतदेय	3687
	योग 02	मतदेय	3687
	योग 102	मतदेय	3687
	योग 02	मतदेय	3687
	योग 2235	मतदेय	3687

**4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय****102 सामुदायिक विकास****04 विधायक निधि**

55 पूँजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान		मतदेय	134900
	योग 04	मतदेय	134900
	योग 102	मतदेय	134900
	योग 4515	मतदेय	134900

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है

- 1 अनुसूचित जाति केन्द्रों पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय (राज्य योजना) हेतु रा0आ0नि0 से आहरित रू0 3687 हजार की प्रतिपूर्ति की आवश्यकता है।
- 2 विधायक निधि हेतु रा0आ0नि0 से आहरित रू0 134900 हजार की प्रतिपूर्ति की आवश्यकता है।



(धनराशि हजार रूपये में)

	राजस्व	पूँजी	योग
1. मूल अनुदान	3952503	1480508	5433011
भारित	--	--	--
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	1330	28400	29730
भारित	--	--	--
कुल योग ( मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान )	3953833	1508908	5462741
भारित	--	--	--

**2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण****02 समाज कल्याण****200 अन्य राहत के उपाय****03 समन्वित बालविकास योजनाएँ अनुसूचित जनजातीय केन्द्रों पर राज्य सरकार मानदेय (22350279604 से स्थानांतरित)**

08 पारिश्रमिक	मतदेय	1330
योग 03	मतदेय	1330
योग 200	मतदेय	1330
योग 02	मतदेय	1330
योग 2235	मतदेय	1330

**4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय****102 सामुदायिक विकास****04 विधायक निधि**

55 पूँजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान	मतदेय	28400
योग 04	मतदेय	28400
योग 102	मतदेय	28400
योग 4515	मतदेय	28400

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है

- 1 समन्वित बालविकास योजनाएँ अनुसूचित जनजातीय केन्द्रों पर राज्य सरकार मानदेय हेतु रा0आ0नि0 से आहरित रू0 1330 हजार की प्रतिपूर्ति की आवश्यकता है।
- 2 विधायक निधि हेतु रा0आ0नि0 से आहरित रू0 28400 हजार की प्रतिपूर्ति की आवश्यकता है।

उत्तराखण्ड राजकोषीय  
उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध  
अधिनियम, 2005 की धारा-6  
(5) के अधीन अपेक्षित विवरण

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की  
धारा-6 (5) के अधीन अपेक्षित विवरण

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 6 (5) में निम्नलिखित प्रावधान है :-

“6 (5) जब कभी एक या अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिए व्यय की तत्समय कमी और राजस्व के संवर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी।”

वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों में रु0 114.93 करोड़ का राजस्व अधिशेष तथा रु0 8984.53 करोड़ का राजकोषीय घाटा था।

माह दिसम्बर 2021 के द्वितीय अनुपूरक का आकार रु0 1353.79 करोड़ है जिसमें रु0 1168.91 करोड़ के व्यय का अनुमान राजस्व पक्ष में तथा रु0 184.88 करोड़ के अनुमान पूँजीगत पक्ष में है। इस प्रकार कुल रु0 1353.79 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है जिसकी पूर्ति निम्नवत होना सम्भावित है :-

द्वितीय अनुपूरक के अन्तर्गत रु0 668.36 करोड़ का प्राविधान संसाधन सम्बद्ध योजनाओं के अन्तर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग रु0 91.43 करोड़ का प्राविधान आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत किया गया है।

वेतन भत्तों आदि की मद में आय-व्ययक 2021-22 में लगभग रु0 16422.51 करोड़ का अनुमान था जिसके सापेक्ष माह नवम्बर तक लगभग रु0 9599.90 करोड़ व्यय हो चुका है, जो कि बजट अनुमान का 58.46 प्रतिशत है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में 3 माह का वेतन दिया जाना बाकी है। वेतन व्यय की इस प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में वेतन आदि की मद में बचत होनी सम्भावित है।

उक्त के दृष्टिगत द्वितीय अनुपूरक मांग के कारण बढ़े हुए व्यय को अतिरिक्त ऋण तथा सम्भावित बचतों की व्यवस्था कर पूरा किया जायेगा।

(पुष्कर सिंह धामी)  
मुख्यमंत्री